न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न0 **163/2021**

प्रार्थी :– 1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1.गफूर खां, भूरे खां, मुरे खां, पि. आकू खां, खमे खां, वल्द मेहताब वगैरहा
2.निबेखां वल्द जामीनखां, मोहम्मद, हबीब खां पि. फरीदखां वगैरहा
3.सलेमान, हासम,कमाल, रिमजेखां, बरगतखां, बाबू पि.लादूखां वगैरहा कौम मुसलमान सा. देह प्रतापनगर।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम **प्रतापनगर** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) **नवातला रोड से रा.उ.प्रा. कासुरो की ढाणी तक** ग्रेवल से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम **प्रतापनगर** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से ग्राम **प्रतापनगर** के खसरा न 3053, 3054, 4293/3055 भूमि में उक्त ग्रेवल रास्ता चल रहा है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट 'अ'** में वर्णित विवरण अनुसार ग्राम आबादी **प्रतापनगर** से **नवातला रोड से रा.उ.प्रा. कासुरो की ढाणी तक** सरहद ग्रेवल सडक रास्ता दर्ज करने का **प्रतापनगर** निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी राजस्थान [illegible] बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के [illegible] जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे [illegible] मे चल रहे, बारहमासी [illegible] सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते [illegible] रास्ते सडक के रूप मे अभि[illegible] नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:40:27 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण पार्टी संख्या 1, 2 की और से सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया, शेष विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही की जाती है। भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है। बाद विवेचन तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम **प्रतापनगर** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) आबादी **नवातला रोड से रा. उ.प्रा. कासुरो की ढाणी तक** ग्रेवल सडक से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम **प्रतापनगर** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क /बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो आबादी **नवातला रोड से रा.उ.प्रा. कासुरो की ढाणी तक** ग्रेवल सडक जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को संबंधित काश्तकारन की सहति अनुसार रास्ते के लिए जोड़ने हेतु स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर ग्राम प्रतापनगर में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो **नवातला रोड से रा.उ.प्रा. कासुरो की ढाणी तक** ग्रेवल सडक से ग्राम **प्रतापनगर** के खसरा नं. 3053, 3054, 4293/3055 भूमि में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग प्रभावित प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' परिवर्तन खतौनी में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

(नरेश सोनी)
भू–अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में को सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:40:27 IST
Reason: SelfAttested

भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner